प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021***

विषय:- जिला कारागार, हरिद्वार, उतराखण्ड राज्य में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुवैर पुत्र श्री तुफैल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12190/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.05.2021) दिनांक-20.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हरिद्वार, उतराखण्ड राज्य में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुवैर पुत्र श्री तुफैल, बजहेड़ी, थाना-नई मण्डी, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 27 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 28-09-1976 को देशी पिस्तौल, भाला, बल्लम एवं लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-98/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 21.11.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.1996 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2021 तक 17 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 28-09-1976 को 27 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल, भाला, बल्लम एवं लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी पूर्व में शिविर सितारगंज से 15 दिन के गृह अवकाश पर गया था जहां से 06 वर्ष 08 माह 27 दिन अनाधिकृत रूप से कारागार से बाहर रहा तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कारागार में दाखिल किया गया। इस प्रकार बन्दी द्वारा गृह अवकाश के नियमों की अवहेलना करने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जुवैर आलम पुत्र श्री तुफैल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- रिट याचिका (क्रिमि0) एम0बी0 संख्या-18216/2019 जुबैर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 21.01.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जुवैर (बन्दी संख्या-5783) पुत्र श्री तुफैल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-108/2021/1111(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्वार, उतराखण्ड राज्य।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-108/2021/1111/22-2-2021-17(204)/2012

दिनांक 30 जून, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, हरिद्वार, उतराखण्ड राज्य में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुवैर पुत्र श्री तुफैल, बजहेड़ी, थाना-नई मण्डी, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 27 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 28-09-1976 को देशी पिस्तौल, भाला, बल्लम एवं लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-98/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 323, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 21.11.1978 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.1996 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2021 तक 17 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुई हत्या एवं पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 28-09-1976 को 27 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्तौल, भाला, बल्लम एवं लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी पूर्व में शिविर सितारगंज से 15 दिन के गृह अवकाश पर गया था जहां से 06 वर्ष 08 माह 27 दिन अनाधिकृत रूप से कारागार से बाहर रहा तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कारागार में दाखिल किया गया। इस प्रकार बन्दी द्वारा गृह अवकाश के नियमों की अवहेलना करने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जुवैर आलम पुत्र श्री तुफैल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।